न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5 / 2023 (डूंगरपुर डिकी)

पेमा पुत्र देवा मुतबन्ना हीरा पिता जेता, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जीवा पुत्र नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. कालू पुत्र नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. पूंजीलाल पुत्र नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती कोकिला पुत्री नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती काली पुत्री नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्रीमती दीपिका पुत्री नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती नाथी बेवा नारायण जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती वाली पुत्री हीरा जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
9. श्रीमती पूंजी पुत्री हीरा जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
10. श्रीमती मीरं पुत्री हीरा जी, जाति कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री [illegible]
दिनांक 30.03.2010 प्र[illegible] 267 [illegible]09

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:56 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री अल्लानूर मंसूरी अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11

---/---

निर्णय **दिनांक 28—12—2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 90, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 में मौजा चोकी के खाता संख्या 94 में वर्णित कुल किता 34 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी के गोद पिता हीरा पिता जेता के खातेदारी की है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। हीरा जी ने अपने जीवनकाल में पुत्रियों का विवाह कर दिया जो अपनी ससुराल में निवास करती है, जिससे हीरा जी ने अपनी आराजियात के दो हिस्से करके एक हिस्सा वादी को तथा एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता नारायण को दिया, लेकिन हीरा जी के फोत होने के बाद वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हुआ, जबकि आराजी नंबर 2367 से 2370 व 2373 से 2376 पर कब्जा आज भी वादी का ही चला रहा है। अतः वादी को खाता संख्या 94 में वर्णित कुल किता 34 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा का सहखातेदार घोषित किया जाकर खसरा नंबर 2367 से 2370 व 2373 से 2376 का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर वादी के हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की बहस सुनकर दिनांक 29—04—2009 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी पेमा ने न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील प्रस्तुत की, जिस पर इस न्यायालय हाजा दिनांक 30—03—2010 को अपील स्वीकार की गयी। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—03—2010 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:56 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 30–03–2010 को जो निर्णय पारित किया गया है, वह साक्ष्यों के आधार पर ही किया गया है, क्योंकि अपीलान्ट पेमा को हीरा ने बचपन में ही गोद रखा था तथा अपनी आधी भूमि अपीलान्ट को दे दी थी। अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी नंबर 2367 से 2370 व 2373 से 2376 पर काबिज है, लेकिन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने इस ओर कोई गौर नहीं किया एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को वाद वर्णित खाता संख्या 94 कुल किता 34 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा का सहखातेदार घोषित करते हुए खसरा नंबर 2367 से 2370 व 2373 से 2376 का खातेदार घोषित किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार विभाजन किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में विवादित आराजियात कुल किता 34 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 10 व श्रीमती हकरी बेवा हीरा का 4/5 हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजियात का न तो खातेदार दर्ज है न ही सहखातेदार। अपीलान्ट/वादी ने हीरा के [illegible] का कथन किया है तथा उसके दावे का मुख्य आधार गोदनामा है लेकिन उसके द्वारा किसी प्रकार का गोदनामा अधिनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:56 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–04–2009 को प्रत्येक तनकी पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2009 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28–12–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:56 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

पेमा पिता देवा मुतबन्ना हीरा पिता जेता कटारा मीणा, निवासी चोकी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य	बनाम	**जीवा पिता नारायण कटारा मीणा निवासी चोकी, तह0 सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं...........**05/2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
.....**सीमलवाड़ा**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**29**...............माह..............**04**.............**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**28**....माह........**12**.......सन् **2023** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अल्लानूर मंसूरी**....मिनजानिब अपीलान्ट व.......**श्री पैरोकार सरकार**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2009 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**28**.....माह.......**12**...........**2023** को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:56 IST
Reason: SelfAttested